भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 821
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

पॉक्सो न्यायालय

821. श्री एस. जगतरक्षकन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश, विशेषकर तमिलनाडु में वर्तमान में कितने पॉक्सो न्यायालय कार्य कर रहे हैं और उक्त न्यायालयों द्वारा उनकी स्थापना से लेकर अब तक कुल कितने मामलों का निपटान किया गया है ;

(ख) विधि द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कितने प्रतिशत मामलों का निपटान किया गया और उक्त न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) तमिलनाडु राज्य में विशेष रूप से पोक्सो मामलों को निपटाने के लिए कितने समर्पित फास्ट ट्रैक न्यायालय हैं ;

(घ) क्या सरकार की वर्तमान मामलों के बैकलॉग की प्रतिक्रिया में इस संख्या को बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन न्यायालयों में वर्तमान में कितने कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं और संसाधनों, कर्मचारियों अथवा प्रक्रियात्मक विलंब के संबंध में इन न्यायालयों के समक्ष आ रही विशिष्ट चुनौतियों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश [स्वप्रेरणा रिट (दांडिक) संख्या 1/2019] के बाद बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के त्वरित निपटान के लिए (एफटीएससी) जिसके अंतर्गत विशेष पॉक्सो न्यायालय भी है की स्थापना के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम शुरु की गई है । इस स्कीम को दो बार विस्तारित किया गया है, जिसमें नवीनतम विस्तार 31 मार्च 2026 तक है, जिसका लक्ष्य 790 न्यायालयों की स्थापना करना है । उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, 31.12.2024 तक 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 747 एफटीएससी, जिसके अंतर्गत 406 विशेष पॉक्सो न्यायालय (ई- पॉक्सो) भी हैं, कार्यशील हैं । इन न्यायालयों ने 31.12.2024 तक बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के लगभग 3,00,000 मामलों का निपटान किया है। शेष स्वीकृत एफटीएससी के संचालन को शीघ्रता से शुरू करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय से महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

389 ई-पॉक्सो न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रारंभिक अधिदेश के विरुद्ध, संपूर्ण देश में 406 ई-पॉक्सो न्यायालय क्रियाशील हो गए हैं। इन न्यायालयों ने स्कीम के आरंभ से अब तक 1,91,000 से

अधिक मामलों का निपटारा किया है। तमिलनाडु में, 31.12.2024 तक 14 ई-पॉक्सो न्यायालय क्रियाशील हैं, जिन्होंने स्कीम के आरंभ से अब तक 8890 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसमें अलग-अलग न्यायालय संबंधित उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तथापि, त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुकर बनाने और मामलों के निपटारे के लिए विहित समय सीमाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों और उच्च न्यायालय के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना भी है, ताकि प्रगति की मोनिटरी की जा सके और कार्यान्वयन की चुनौतियों का समाधान किया जा सके । इसके अतिरिक्त, माननीय विधि और न्याय मंत्री की ओर से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के माननीय मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों को संसूचना जारी की है जिसमें पॉक्सो अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन निर्धारित समय सीमाओं के सख्त अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया गया हैं । बेहतर मोनिटरी और डाटा-आधारित निर्णय लेने के लिए, त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) के प्रदर्शन का पता लगाने और व्यवस्थित डाटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अंतरराज्यीय आंचलिक परिषद की बैठकों में (एफटीएससी) का प्रदर्शन प्रमुख कार्यसूची विषय बना हुआ है, ताकि अंतर-सरकारी समन्वय को बढाया जा सके और मामलों के निपटान शीघ्रता से किए जा सके ।

त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, प्रत्येक एफटीएससी में एक न्यायिक अधिकारी और सात सहायक कर्मचारी सदस्य होने अनिवार्य हैं, जो सभी बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निपटान के लिए विशेष रूप से समर्पित हैं। न्यायिक अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति, साथ ही इन न्यायालयों के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं, केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं।

****